न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 81/2018 अपील

1. आशाराम पिता रामकुवार निवासी मालीखेडा उर्फ नया गांव, ग्राम पंचायत बालापुरा, तहसील फुलियाकला, जिला भीलवाडा।
2. सांवरा पिता रामकुवार माली निवासी मालीखेडा उर्फ नया गांव, ग्राम पंचायत बालापुरा, तहसील फुलियाकलां, जिला भीलवाडा।
3. राजू पिता रामकुवांर माली निवासी मालीखेडा उर्फ नया गांव, ग्राम पंचायत बालापुरा, तहसील फुलियाकलां, जिला भीलवाडा।

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार फुलियाकलां बमामले प्रकरण सं0 146/2018 निर्णय दिनांक 22.10.2018

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से
3. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – ग्रामवासी नयागांव ग्राम पंचायत बालापुरा की ओर से

निर्णय

दिनांक 1-11-2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार फुलियाकलां के प्रकरण सं. 146/2018 निर्णय दिनांक 22.10.2018 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां के यहाँ पटवार हल्का बालापुरा द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि ग्राम आमलो बारेठ में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 861 किस्म गैर मु0 नाली में रकबा 0.12 हैक्ट. एवं आराजी नम्बर 1040/2404 किस्म गैर मु0 नदी मे से रकबा 0.38 हैक्टेयर पर सम्वत् 2075 खरीफ में अनाधिकृत रूप से फसल ज्वार व कपास काश्त कर अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा यह प्रकरण दर्ज कर अतंर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांटगण के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की

तथा धारा 91(3) भू राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस दिनांक 09.10.2018 को जारी किया गया, विधिवत रूप से तामिल होने के बावजूद नियत दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित नहीं हुए अप्रार्थीगण को पुनः दिनांक 16.10.2018 को नोटिस जारी विधिवत तामिल करवाया गया बाद तामिल नोटिस शामिल पत्रावली किया गया, अप्रार्थीगण उपस्थित जिन्होंने हस्व रिपोर्ट पटवारी हल्का अपना कब्जा होना स्वीकार किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलिया कलां द्वारा ने अपीलांटगण के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा पत्रावली पर पटवारी हल्का के बयान अभिलिखित किये गये। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां ने अपीलांटगण को नियमित अतिचारी मानते हुए 1 माह का सिविल कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस निर्णय एवं आदेश की अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं थी क्योकि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया था। इस प्रकार अपीलांटगण को बिना सूचना दिए व बिना सुने ही आलौच्य निर्णय एवं आदेश पारित किया है जो गलत है।

विवादित आराजी नम्बर 861 में रकबा 0.12 हैक्ट. व आराजी नम्बर 1040/2404 में से रकबा 0.38 हैक्टेयर के किसी भी भू–भाग पर अपीलांटगण का कोई अतिक्रमण नहीं है, न ही पिछले वर्षो में अतिक्रमण ही किया है पटवारी हल्का ने अपीलांटगण के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत गलत रिपोर्ट बना कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां ने बिना किसी आधार के व मौका दिखाए अपीलांटगण को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर अपीलांटगण को 1 माह का सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया, जो निरस्त योग्य है।

दिनांक 09.10.2018 को जारी किये गये नोटिस विधिवत रूप से जारी नही किया गया। उक्त नोटिस में तीनों अपीलांटगण के एक साथ नाम एक ही नोटिस में लिख दिए गये जो कि कानून की भूल कर विधि के अनुरूप जारी नहीं कर गलत तरीके से जारी किया गया जबकि अपीलांटगण को विधिक रूप से पृथक पृथक नोटिस जारी करना चाहिये था, अतः जो आदेश पारित किया गया, विधि विरूद्ध होने से योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलिया कलां द्वारा की जा रही अतिक्रमण की कार्यवाही की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 22.10.2018 तहसील जाने पर हुई व हम अपीलांटगण जब कार्यवाही की बारे में जानकारी ली तो हम अपीलांटगण को कहा गया कि आज तुम्हारी पेशी है आगामी तारीख पेशी को तुम लोगों के बयान लेंगे जिस बाबत नोटिस जारी कर बता देंगे ऐसा कहकर हम अपीलांटगण से खाली कागजों पर साइन करवा लिए तथा पीछे से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां ने उसी दिनांक 22.10.2018 को अपीलांटगण को बिना जानकारी दिए ही गलत तरीके से आलौच्य निर्णय एवं आदेश पारित किया, जो निरस्त

होने योग्य है। निवेदन हैं कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.10.2018 को अपास्त किया जावें एवं अपीलांट को दिए गये सिविल कारावास व अर्थ दण्ड को माफ किया जावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया।

ग्रामवासी नयागांव ग्राम पंचायत बालापुरा ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी नं. 861 व 1040/2404 पर विपक्षी अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से अतिक्रमियों द्वारा लगाये गये जाली पिल्लर को हटाये जाने एवं गेहूं की फसल को हटाये जाने की प्रार्थना की है।

इस प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया गया। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया, जिसमें मौका कमिश्नर नियुक्त करा मौका रिपोर्ट की प्रार्थना की हैं। वादग्रस्त आराजी नं. 861, 1040/2404 सरकारी बिलानाम भूमि हैं। कमिश्नर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी नम्बर 861 में रकबा 0.12 हैक्ट. व आराजी नम्बर 1040/2404 में से रकबा 0.38 हैक्टेयर के किसी भी भू-भाग पर अपीलांटगण का कोई अतिक्रमण नहीं है, न ही पिछले वर्षो में अतिक्रमण ही किया है पटवारी हल्का ने अपीलांटगण के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत गलत रिपोर्ट बना कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां के समक्ष प्रस्तुत की है। दिनांक 09.10.2018 को जारी किये गये नोटिस विधिवत रूप से जारी नही किया गया। उक्त नोटिस में तीनों अपीलांटगण के एक साथ नाम एक ही नोटिस में लिख दिए गये जो कि कानून की भूल कर विधि के अनुरूप जारी नहीं कर गलत तरीके से जारी किया गया जबकि अपीलांटगण को विधिक रूप से पृथक पृथक नोटिस जारी करना चाहिये था। निवेदन हैं कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फूलियाकलां के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.10.2018 को अपास्त किया जावें एवं अपीलांट को दिए गये सिविल कारावास व अर्थ दण्ड को माफ किया जावें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में आर आर डी 1986 पेज नं. 545 पेश किया।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे बिलानाम गे.मु. नाली एवं गे.मु. नदी दर्ज हैं, जो नियमन योग्य नहीं होकर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित हैं व पानी के प्राकृतिक बहाव क्षैत्र से संबंधित हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि

सम्मत हैं। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। ग्रामवासी बालापुरा ने भी ग्राम आमली बारेठ के आराजी नं. 861 रकबा 0.12 एवं आराजी नं. 1040/2404 रकबा 0.38 हैक्ट. पर आशाराम सांवर राजू आदि ने अतिक्रमण कर फसल काश्त करने एवं जाली पिल्लर लगा दिये जिसे हटाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2019 को पेश किया हैं। इस प्रकार आराजी नं. 861 व 1040/2404 के संबंध में सार्वजनिक आपत्ति प्रकट की गयी हैं।

अपीलाण्ट द्वारा ग्राम आमली बारेठ में स्थित बिलानाम आराजी नं. 861 किस्म गे.मु. नाली में से 0.12 हैक्ट. तथा आराजी सं. 1040/2404 किस्म गे.मु. नदी में से 0.38 हैक्ट. कुल रकबा 0.50 हैक्ट. पर संवत् 2075 खरीफ में अनाधिकृत रूप से फसल ज्वार व कपास काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फुलियाकलां में बाद तामील नोटिस पर अपीलाण्ट उपस्थित होकर हस्व रिपोर्ट पटवारी हल्का में कब्जा होना स्वीकार किये जाने से तथा अतिक्रमण आराजी नियमन योग्य नही होने से एवं किस्म गे. मु. नदी एवं नाली होकर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने एवं शास्ती 250/—रूपये अधिरोपित कर वसूल करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किया जो युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। ग्रामवासी नयागांव ग्राम पंचायत बालापुरा ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी नं. 861 व 1040/2404 पर विपक्षी अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से अतिक्रमियों द्वारा लगाये गये जाली पिल्लर को हटाये जाने एवं गेहूं की फसल को हटाये जाने की प्रार्थना की है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फुलियाकलां के प्रकरण सं. 146/2018 निर्णय दिनांक 22.10.2018 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 1/11 .2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा